

मैं पिता, उम्र....., पता.....
का स्थायी निवासी हूँ तथा मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि: –

- यह है कि मेरा चयन अतिथि व्याख्याता/प्रयोगशाला सहायक/अनुदेशक, संकाय.....
के पद पर राजकीय पोलिटेक्निक खगड़िया में हुआ है तथा मैं सेवा के निम्न शर्तों का
पालन करूँगा/करूँगी।

ADV No. GPK/02/2025

यह कार्यानुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जायेगी: –

1. अतिथि व्याख्याताओं/प्रयोगशाला सहायकों/अनुदेशक को प्रत्येक संकाय/विषय में
आवश्यकतानुसार आवंटित विषय के लिए वर्ग रूटीन के अनुसार वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला का
कार्य कराना होगा।
2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार के
संकल्प संख्या— 3016, दिनांक 02.12.2021 के आलोक में प्रत्येक वर्ग कार्य हेतु अतिथि
व्याख्याताओं के लिए रु0 1400/- (चौदह सौ रुपये) मात्र प्रति घंटी की दर से एवं अधिकतम
रु0 45000/- (पैतालिस हजार रुपये) मात्र तथा अतिथि अनुदेशक/प्रयोगशाला सहायकों के
लिए रु0 800/- (आठ सौ रुपये) मात्र प्रति घंटी की दर से एवं अधिकतम रु0 25000/-
(पच्चीस हजार रुपये) मात्र होगी।
3. यह आदेश अंशकालिक (वर्ग कार्य आधारित) होने के कारण मानदेय के अलावा किसी प्रकार का
अन्य भुगतान/कटौती (आयकर को छोड़कर) नहीं की जायेगी।
4. वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला कार्य के अलावा प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अन्य संस्थानिक कार्यों का भी
संपादन संतोषप्रद रूप से करना आपेक्षित है। इन कार्यों का मानदेय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार का पत्रांक— 1440, दिनांक 20.06.
2017 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार गणना कर निर्धारित की जाएगी परन्तु मानदेय की राशि
अधिकतम मानदेय की राशि से ज्यादा नहीं होगी।
5. यह कार्यानुमति पूर्ण रूप से अस्थायी, आवश्यकता और पारिश्रमिक आधारित वैकल्पिक व्यवस्था
होगी तथा भविष्य में स्थायीकरण/नियमितीकरण आदि हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. अतिथि व्याख्याता, अतिथि अनुदेशक/प्रयोगशाला सहायकों की सेवाएँ असंतोषप्रद पाए जाने पर
बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार
नहीं किया जाएगा।
7. विज्ञापित पद एक वैकल्पिक/कार्यकारी व्यवस्था के तहत है। विभाग द्वारा नियमित/संविदा
व्याख्याता/अनुदेशक/प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होने पर इन पदों के विरुद्ध दी जाने
वाली कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
8. यह कार्यानुमति दिनांक 31.05.2026 तक के लिए निर्गत की जायेगी। संतोषप्रद कार्य तथा छात्रों
के Feedback के आधार पर अगले सत्र के लिए कार्यानुमति दी जा सकती है।
9. अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के
कार्यानुमति आदेश रद्द की जा सकती है।